

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)



क्र.एफ 40(40)ग्रावि/नरेगा/कन्वरजेंस/बीएडीपी-पीएमएजीवाई/2011 जयपुर, दिनांक:

14/9/11

14 SEP 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त (राजस्थान)।

विषय: महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों को केन्द्र/राज्य सरकार की
अन्य योजनाओं से डवटेल कराये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, श्रीगंगानगर ने प्रस्तावित किया है कि उनके जिले में ज्यादातर कार्य पक्का खाला निर्माण तथा ईट खरंजा/सीसी टाईल की सडक के अधिक होते हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत श्रम सामग्री अनुपात 60:40 की सीमा में यह कार्य करवाना संभव नहीं हो पाता है। अतः सामग्री मद की राशि सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (BADP) अथवा प्रधानमंत्री आर्दश ग्राम योजना (PMAGY) से लेकर डवटेल की जावे तो जिले में अधिक गुणवत्तापूर्ण कार्य होकर आधारभूत ढांचे का निर्माण हो सकेगा।

महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत जारी ऑपरेशनल गाईड लाईन, 2008 के बिन्दु संख्या 14 एवं नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका-2010 के पैरा संख्या 29 के अनुसार नरेगा की वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत कार्यों के निर्माण में व्यय की जाने वाली राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप में केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के साथ डवटेल/समन्वय किया जा सकता है। विभाग द्वारा दिनांक 07.07.11 को नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों का एमपी/एमएलए लेड से डवटेल करवाने बाबत आदेश जारी किये है। नरेगा योजना का अन्य योजनाओं के साथ डवटेल/समन्वय करने के संबंध में जिलो से बार-बार मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। अतः इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :-

1. नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों का अन्य योजनाओं की मार्गदर्शिकाओं के प्रावधानानुसार डवटेल/समन्वय करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि नरेगा योजना की धन राशि जहां भी पूर्ण या आंशिक रूप से डवटेल या समन्वय (Convergence) कर उपयोग में ली जावे, वहां कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत

1

ही उल्लेख कर स्वीकृत किया जावेगा। अन्य योजनाओं की धनराशि अनुसार कार्य के नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जावे।


2. कार्यों की विभिन्न स्वीकृतियां जारी करते समय अन्य योजना से डवटेल कर स्वीकृत की जाने वाली राशि का उल्लेख नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के परिशिष्ट-11अ के कॉलम संख्या 24 में स्पष्ट रूप से किया जावे।
3. कार्य की कुल स्वीकृत राशि अनुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगी जिसमें अलग-अलग योजनाओं की राशि को स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे।
4. समस्त कार्य नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 में निर्दिष्ट मापदण्डों एवं व्यवस्थाओं की पालना करते हुये किया जायेगा।

इस संबंध में जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, श्रीगंगानगर द्वारा जारी एक स्वीकृति सेम्पल के रूप में संलग्न की जा रही है।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें ताकि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण हो सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


भवदीय,


(सी.एस. राजन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।


14/9/11
परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस



कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिला कलेक्टर)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम-राजस्थान, जिला - श्रीगंगानगर



—: संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ::—

क्रमांक - डबटेल बीएडीपी-म.गानरेगा/श्रीकरनपुर/11-12/

7231-44

दिनांक - 9/2/2011

बीएडीपी के तहत वित्तीय वर्ष 2011-12 में विधायित कार्य योजना का राज्य स्तरीय स्कीमिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित कार्यों की सूची के अनुसार इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित कार्यों की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति कार्यालय आदेश क्रमांक 6441-51 दिनांक 17.06.2011 से जारी की गई थी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के अध्याय संख्या 14 के विन्दु संख्या 14.1 के अनुसार योजनान्तर्गत अनुमत्त कार्यों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम-राजस्थान के साथ वित्तीय वर्ष 2011-12 की वार्षिक कार्य योजना में शामिल करते हुए कन्वर्जन्स की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन नरेगा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 में करार जाने की स्वीकृति भी एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

पंचायत समिति श्रीकरनपुर

| क्र.सं. | कार्य का नाम | ग्राम / स्थान का नाम | ग्राम पंचायत | यूनिट कोड | डीएस क्रमांक /दिनांक | कुल प्रस्तावित राशि तकनीकी स्वीकृति के अनुसार | | | नरेगा योजना से वित्तीय स्वीकृति की राशि | | | | कार्य पर सम्पादित राशि दिवस | प्रतिदिन अतिक्रम श्रमिक सीमा | कार्य पूर्ण होने की सम्भावित अवधि (माह) | कार्य पूर्ण होने का कार्यकारी संस्था | कार्य की क्रेणी | वित्तिय विवरण/अन्य योजना से वित्त पोषित राशि | | | कार्य संस्था का बैंक खाता संख्या | |
|--------------|---|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|--|------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | | | | तकनीकी स्वीकृति की राशि | ग्राम | सामग्री | कुल | ग्राम | सामग्री | योग | | | | | | श्रीएडीपी से वित्तीय स्वीकृति की राशि | अन साहाय्य राशि | श्रीएडीपी मद से देय प्रथम किरात की राशि | | |
| 1 | पक्का खाला निर्माण प.सं. 121/95 से 118/95 त. 2475 फुट | 15 H | Malhana Kalan, | 2701003159/IC/01001 | 116/01.08.11 | 119030.00 | 357320.00 | 476350.00 | 119030.00 | 79350.00 | 198380.00 | 1000 | 5 | 6 | ग्राम पंचायत मलकाना कला | 3 | 0.00 | 235300.00 | 235300.00 | 42670.00 | 117650.00 | SBBJ Karanpur IFC CODE No. SBBJ0010150 A/c No. 51052044120 |
| 2 | पक्का खाला निर्माण प.सं. 146/193 से 145/196 त. 3300 फुट | 16 'O' | 15 'O', | 2701003135/IC/01002 | 117/01.08.11 | 150000.00 | 521460.00 | 671460.00 | 150000.00 | 100000.00 | 250000.00 | 1261 | 10 | 6 | ग्राम पंचायत 15 ओ | 3 | 0.00 | 362000.00 | 362000.00 | 59460.00 | 181000.00 | SBBJ Karanpur IFC CODE No. SBBJ0010150 A/c No. 51052027841 |
| 3 | पक्का खाला निर्माण प.सं. 142/191 से 142/194, 143/191 से 143/192 त. 3300 फुट | 15 'O' | 15 'O', | 2701003135/IC/01003 | 115/01.08.11 | 145000.00 | 493630.00 | 638630.00 | 145000.00 | 95000.00 | 240000.00 | 1218 | 10 | 6 | ग्राम पंचायत 15 ओ | 3 | 0.00 | 342000.00 | 342000.00 | 56630.00 | 171000.00 | SBBJ Karanpur IFC CODE No. SBBJ0010150 A/c No. 51052027841 |
| Total | | | | | | 414030.00 | 1372410.00 | 1786440.00 | 414030.00 | 274350.00 | 688380.00 | 3479 | | | | | 0.00 | 939300.00 | 939300.00 | 158760.00 | 469650.00 | |
| | | | | | | | | | प्रतिशत | 60.15% | 39.85% | | | | | | | | | | | |

नोट:- कॉलम संख्या 9 में अंकित राशि कार्य की कुल लागत राशि है जिसमें नरेगा सहित अन्य योजनाओं/सामग्री खर्च के द्वारा बटन की जाने वाली राशि सम्मिलित है। जबकि कॉलम संख्या 12 में नरेगा योजनान्तर्गत बटन की जाने वाली राशि का ही अंकन किया गया है। अन्य योजनाओं/सामग्री के द्वारा बटन की जाने वाली राशि का अंकन कॉलम संख्या 20 व 21 में किया गया है। कॉलम संख्या 12, 20 व 21 में अंकित राशि का योग कॉलम नं. 9 में अंकित राशि के बराबर होगा।

उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन में निम्न शर्तों की पालना आवश्यक होगी :

- कार्य तकनीकी स्वीकृति के अनुसार ही किया जाएगा। अलग अलग योजनाओं की राशि को योजनावार एवं मदवार स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये।
- महात्मा गांधी नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 में निर्दिष्ट मापदण्डों एवं व्यवस्थाओं की पालना करते हुए ही कार्य का धन/अनुमोदन होने के उपरान्त ही भुगतान/समायोजन की कार्यवाही की जाये।
- यदि कार्य के निष्पादन में अप्रत्याशित विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी वृद्धि के लिए कार्यकारी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
- यदि कार्य विभिन्न योजनाओं के साथ डबटेल किया जाता है तो योजनावार स्वीकृत राशि को पृथक-पृथक दर्शाना होगा।
- कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह के अन्त में अखेरस्ताधारकर्ता को योजना के निम्नलिखित प्रारूप में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
- प्रशिक्षित भेट ही कार्य पर नियोजित किया जावे। मस्टररोल जारी करते समय भेट का पूरा नाम आवश्यक रूप से लिखा जावे।
- प्रपत्र-6 में प्राप्त आवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत से प्राप्त श्रमिकों की सूची के अनुसार समस्त श्रमिकों के नाम अंकित कर एवं समस्त कालमें की पूर्ति कर ही मस्टररोल जारी की जावे।
- अकुशल श्रमिकों के लिए श्रमिकों का नाम अंकित कर तथा अर्द्धकुशल, कुशल तथा भेट आदि के लिए मस्टररोल अलग-अलग जारी किया जावे।
- प्रत्येक कार्यकारी संस्था द्वारा मजदूरी भुगतान की राशि, की गई मजदूरी के दिनों का इन्फ्रान्त जॉब कार्ड में किया जाकर दिनांकित हस्ताक्षर किये जायेंगे। ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार की सूचना ग्रामवार रोजगार रजिस्टर प्रपत्र -7 में इन्फ्रान्त किया जायेगा।
- श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उनके बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में ही किया जावे। जिन श्रमिकों के बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाते नहीं हैं, उन श्रमिकों का खाता खुलवाने की जिम्मेदारी पंचायत स्वयं, रोजगार सहायक एवं भेट की होगी।
- ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार की सूचना के स्थापन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के सचिव की एवं पंचायत समिति स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी की होगी।
- कार्यों का क्रियान्वयन किसी भी स्थिति में ठेकेदारों एवं मशीन द्वारा अनुमत्त नहीं है यदि किमागी प्रक्रियानुसार कार्य की सामग्री मद की राशि का टेन्डर किया जाता है तो सम्बंधित किमाग द्वारा टेन्डर प्रक्रियाम की स्वीकृति जिला परिषद के अनुमोदन उपरान्त दी जा सकती।
- मस्टररोल पक्षिक रखे जायेंगे, जिसमें साप्ताहिक अवकाश गुरुवार का होगा।
- ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत कार्यों का मापन, मूल्यांकन एवं निरीक्षण आदि का कार्य महात्मा गांधी नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका-2010 में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

- 15 समूह श्रमिकों के द्वारा किये गये कार्यों का माप, भेट द्वारा प्रत्येक दिन लिया जाकर उसका इन्वज प्रतिदिन मस्टररोल में नियमानुसार किया जायेगा। साथ ही कनिष्ठ अभियन्ता / कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा संदिग्ध पत्रवाड़े के बीच में कम से कम एक बार कार्य की माप का भीके पर सत्यापन कर इन्वज मस्टररोल में किया जाना आवश्यक होगा। यह इन्वज मस्टररोल के साथ-साथ कार्य पर उपलब्ध कार्यस्थल निरीक्षण पुस्तिका में कराना भी आवश्यक होगा। पत्रवाडा समिति के 15 दिवस के अन्दर श्रमिकों का मुगलान शत-प्रतिशत किये जाने की जिम्मेदारी कार्यकारी संस्था की होगी अन्यथा कार्यकारी संस्था को विलम्ब के लिए उत्तरदायी ठहराया जाकर श्रमिकों की क्षतिपूर्ति करवायी जायेगी।
- 16 श्रमिकों का नियोजन केवल 5-5 के समूह बनाकर ही किया जावे एवं उन्हें टारक भी इसी अनुसार दिया जावे। किये गये कार्य का माप भी इन पांच श्रमिकों का एक साथ किया जावे। इस प्रकार एक मस्टररोल में दो प्रकार के मुगलान करवाये जाने की जिम्मेदारी श्रमिकों की होगी।
- 17 प्रत्येक कार्य के लिये मानक कार्य की मात्रा (टारक) महत्वना गांधी नरेंगा तकनीकी मार्गदर्शिका-2010 के परिशिष्ट-4 एवं परिशिष्ट-4अ अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- 18 किये गये व्यय का पत्रवाड़ेवार अंकन ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति एवं संवर्धी व्यय रजिस्टर में किया जायेगा।
- 19 कार्य स्थल पर स्वच्छ भेयजल, छाया और प्राथमिक उपचार बीस उपलब्ध कराया जायेगा। अगर एक कार्य स्थल पर 8 वर्ष से कम उम्र के 5 से अधिक बच्चे, महिला मजदूरों के साथ आते हो तो एक महिला (शिकलांग को प्राथमिकता देने हुए) मजदूर उन बच्चों की देखभाल हेतु लगाई जायेगी जिसे टारक अनुसार भ्रम मद से मुगलान देय होगा।
- 20 टारक आधारित मजदूरी के मुगलान का आचार एवं दर कार्य स्थल पर प्रदर्शित करते हुए महात्मा गांधी नरेंगा कार्य निर्देशिका अनुसार कार्य का हिसले बोर्ड कार्यस्थल पर कार्य शुरू होने से पूर्व ही लगाया जायेगा।
- 21 कार्यस्थल पर सदैव मस्टररोल के साथ वित्तीय सौकृति, तकनीके एवं कार्यस्थल सुरक्षा के संभरण करना होगा। प्रथम बार मस्टररोल जारी होते समय यह दस्तावेज जारी करने होने के लिये जारी अंतिम मस्टररोल के साथ उभा होगे।
- 22 एनीकट निर्माण के कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व सम्बन्धित जल संसाधन खण्ड से एम्प्लोसी एवं फिशिविलिटी रिपोर्ट ली जावे। एनीकट निर्माण के समय नीच की जांच तकनीकी अधिकारी से करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जावे।
- 23 साधारण मिट्टी के अलावा अन्य प्रकार के स्ट्रेट की खुदाई का सत्यापन एवं अतिरिक्त लीड एवं लिट का सत्यापन अधिशायी अभियन्ता, नरेंगा / अभियान्त्रिकी के कराने के पश्चात ही दर निर्धारित की जावे।
- 24 निर्माण सामग्री की आपूर्ति न्यूनतम एवं निकटतम क्वारी से करने का प्रमाणीकरण माप पुस्तिका में दर्ज किये जाने एवं क्वारी का नाम अंकित करने पर ही मूल्यांकन कैब माना जायेगा।
- 25 कार्य के शुरू होने से पूर्व की अवस्था प्रगति एवं समाप्ति पश्चात का दिनांकित फोटो आवश्यक रूप से लिया जावे एवं इसे कार्य की वर्क फाईल के साथ स्थायी रिकार्ड के रूप में रखा जावे।
- 26 वन/सार्वजनिक निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग अथवा एनजीओ पत्रवाडा समिति पर भेट से मस्टररोल प्राप्त से पूर्व मस्टररोल पर ग्राम पंचायत के सचिव/रोजगार सहायक के हस्ताक्षर करवायेगे और पंचायत के यह कार्षिक इस मस्टररोल से पंचायत में स्थायित ग्रामवार रजिस्टर संख्या-7 में उस श्रमिक परिवार के नियोजित दिनों में इस पत्रवाड़े के दिनों का जोड़ करेंगे। इस निर्देश की पालना नहीं करने पर किसी परिवार को 100 दिवस से ज्यादा का रोजगार दे दिये जाने पर अतिरिक्त राशि की वसूली लाइन विभाग से की जायेगी।
- 27 कार्य का समय एवं भोजनवकाश जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी आदेश के अनुसार रखा जायेगा।
- 28 सामग्री मद एवं मस्टररोल का मुगलान होते ही नरेंगा वेबसाईट पर एम्प्लोई पर मस्टररोल फीड कराने एवं पंचायत घर पर वेजलिस्ट बरसा कराने का दायित्व कार्यकारी एजेन्सी एवं कार्यक्रम अधिकारी का होगा।
- 29 तकनीकी अभियन्ता द्वारा कार्य की माप कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी हस्ताक्षरित माप पुस्तिका में ही करनी होगी।
- 30 कार्य सम्प्रादित कराने के लिये सामग्री का क्रय विभागीय रिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।
- 31 श्रमिकों की उपलब्धता के अनुसार कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाए।
- 32 पक्का खाला निर्माण/पक्का खाला छत निर्माण के कार्य के लिए जन सहयोग राशि ग्राम पंचायत कार्यालय में उभा होना सुनिश्चित होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य शुरू किये जाए।
- 33 उत्कल कर्यों की अलाव वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेंगा वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित करवाने की जिम्मेवारी कार्यकारी संस्था की होगी।
- 34 ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 में निर्दिष्ट मापदण्डों एवं व्यवस्थाओं की पालना करते हुए योजना वार पूषक-पूषक समायोजन की राशि दर्शाई जाए।
- 35 पक्का खाला निर्माण सिंचाई विभाग व रास्ता राजपर रिकार्ड के अनुसार ही निर्माण किया जाए।
- 36 भ्रम, सामग्री का मुगलान स्वाम अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाने क पत्रवाड़े ही करें।

क्रमिक - डवटेल बीएडीपी-म.गा.नरेंगा / श्रीकरनपुर / 11-12 / 7231-44

प्रतिलिपि :

- 1 श्री भरतराम भेयवाल सांसद महोदय, लोक सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर।
- 2 श्री गुरुश्रीत सिंह कुन्वर, माननीय विधान सभा क्षेत्र श्रीकरनपुर।
- 3 जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, श्रीगंगानगर।
- 4 प्रधान पंचायत समिति श्रीकरनपुर।
- 5 श्री हितबल्लभ शर्मा, अधिशायी अभियन्ता (ईजीएस)/अभियान्त्रिकी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर।
- 6 प्रमारी अधिकारी (ईजीएस)/एम्प्लोईएस मैनेजर (ईजीएस) जिला परिषद, श्रीगंगानगर।
- 7 परियोजना अधिकारी (लेखा)/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी (ईजीएस)/लेखा शाखा/विल शाखा, जिला परिषद, श्रीगंगानगर।
- 8 कार्यक्रम अधिकारी (ईजीएस) एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति श्रीकरनपुर को प्रेषित कर निर्देश है कि इन आदेशों की एक-एक प्रति निम्नलिखित को भी आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे और आदेशित किया जाता है कि महात्मा गांधी नरेंगा मद से व्यय की जाने वाली राशि का लेखा पृथक से स्थायित करते हुए उत्कल कार्य की यू.सी./सी.सी. स्वाम अधिकारी द्वारा जारी करने पर समायोजन की कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा होगी।

- अ- संबन्धित जिला परिषद सदस्य श्री
- ब- पंचायत समिति सदस्य श्री
- स- ग्राम स्तरीय सतकला एवं निगरानी समिति सदस्य श्री
- द- सचिव, ग्राम पंचायत
- 9 संबन्धित कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत
- 10 जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी।
- 11 संक्षिप्त पत्रावली।

(समर्थक कुमार)
जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस)
एवं जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर
दिनांक - 9/2/2011

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक-प्रथम (ईजीएस)
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्रीगंगानगर